

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

वनाम

रामकुमार कुरडाराम आदि

दावा बाबत :- 88RAct

मुकदमा नम्बर :- 179/2020

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील शिवर बनीवाल की व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 की ओर से वकील रामान सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौंदा मौजा मालका के खाता सं0 16/17 के खसरा सं0 219 की 7.8540 हे खसरा सं0 229 की 2.1620 हे कुल 10.0030 हे बरानी खेतदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम नाम सं0 हिस्सा बापलव रियास में 2 है में से प्रतिवादी सं0 1 के बाजार वादी रामकुमार प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम प्रतिवादी सं0 2 में हिस्से को बापलव रियास के खातेदार काबतकार घोषित किया जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर लिया है इसी वर त्याग किमे गये हिस्से पर पंजापुन विभाग का वेय पंजापुन मूल्य एवं सूचना उपयुक्त अंश करे व यदि कृषि भूमि बैंक के रखे हो तो रख मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रियास में अग्रदा वरासद किया जावे राजीगाम को डिक्री का भाग पदा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (शिवर प्रशास) भादरा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्र.गा. के संग अ-2021 कायम